न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रैक) कोटकासिम
अलवर

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति ममता यादव
R.A.S.

वाद संख्या - 165/13
दायर दिनांक - 8-3-13 निर्णय प्रा०पत्र दिनांक 16-5-13

1. सावित्रीदेवी उम्र करीब 55 साल पुत्री श्री देवदत्त पत्नि सत्यदेवी जाति अहीर साकिन माजरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:- वादनी

बनाम :-

1. रामनिवास उम्र 52 वर्ष
2. धर्मवीर उम्र 50 वर्ष पुत्रान देवदत्त यादव कौम यादव, निवासी माजरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
3. सुशीला देवी उम्र 55 वर्ष पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह
4. दर्शना उम्र 28 वर्ष
5. अर्चना उम्र 26 वर्ष
6. वन्दना उम्र 25 वर्ष
7. चेतना उम्र 22 वर्ष पुत्रियान लक्ष्मणसिंह जाति अहीर निवासी माजरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
8. तहसीलदार (लैन्डहोल्डर) कोटकासिम

-: प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
1. श्री नरहरिव्यास - वादीगण
2. श्री आनन्दराव - प्रतिवादीगण

दावा सं. 314/06
दावा इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कोटकासिम (अलवर) राज०

निर्णय प्रार्थनापत्र

Scanned by CamScanner

परोक्त उनवानी वाद, दावा संख्या 314/06 दिनांक 9/11/06 आराजी खसरा सं: 311 रकबा 4 बीघा बिस्वा वाके ग्राम माजरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे स्थित है जो वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतदाविया वादिनी व प्रतिवादी न० 1 व 2 के पिता देवदत्त के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, वादिनी व प्रतिवादी न० 1 के पिता फौत हो चुके है, फौतगी के बाद जायज व विधिक वारिसान भगवती पत्नी देवदत्त फौत हो चुके, वादिनी व उसके भाई प्रतिवादी रामनिवास व धर्मवीर जिवित है। लक्ष्मण मंगलसिंह के गोद चला गया। वादिनी आराजी मुतदाविया मे 1/3 हिस्से के काबिज काश्त सहखातेदार है। मृतक देवदत्त के विरासत का इंतकाल नं 39 खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादी नं. 1,2 व प्रतिवादी न० 3 के प्रति व प्रति० न० 4 लगायत 7 के पिता ने आपस मे मिल्लत कर कतई गैर कानूनी तरीके से दर्ज व मंजूर कराया तथा इंतकाल मे मिन वादिनी का नाम सावित्री की जगह सन्तोषी दर्ज करा दिया। डिक्री तकासमा बाबत आराजी मुतदाविया का बाईमीटस एण्ड बाउंडस तकसीम किया जाकर वादिनी को 1/3 भाग कब्जा अलग से दिलाया जावे व वादिनी के 1/3 हिस्से का अलग से खाता कायम किया जावे इसी कदर प्रतिवादी न० 1 व 2 का क्रमशः अलग खाता कायम कर दखल दिलाया जावे।

न्यायालय में एक दावा 315/06 दि. 9/11/06 को सावित्री देवी बनाम रामनिवास नाम से दायर किया गया है। वाद मे प्रतिवादी अधिवक्ता ने दावा संख्या 314/06 इस्तकरारहक प्रार्थनापत्र दि० 13-9-07 को दावो के कन्सोलिडेट करने हेतु पेश कर कथन किया कि उक्त अनुवानी वाद की तरह समान पक्षकार एवं समान आराजी बाबत एक दावा सं. 315/06 बउनुवान सावित्री देवी बनाम रामनिवास का न्यायालय श्रीमान मे जैर है। उक्त दोनों वादों को चलने से न्यायालय श्रीमान को न्याय करने मे दिक्कत आयेगी व निर्णय भी अलग-2 पारित होंगे। इसलिए कन्सोलिडेट किया जाना आवश्यक व न्यायोचित हो गया है।

विद्वान वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि वाद मे समान पक्षकार एवं समान आराजी है, स्वीकार नहीं है लक्ष्मणसिंह मंगलसिंह यादव के गोद गया, शेष जिस कदर दर्ज किया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। दरअसल प्रतिवादी न० 3 सुशीला देवी पत्नी लक्ष्मणसिंह उम्र 55 वर्ष ने वाद को दैरीना करने की वजह से बिना किसी कानून के बनावटी, मनघडन्त मिथ्या व गलत तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र दिया है एवं प्रार्थी/प्रतिवादिनी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाया है एवं शुद्धहस्त होकर प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है दरख्वास्त देहिन्दा ने अपनी दरख्वास्त मे यह दर्ज नहीं किया है कि तथाकथित दरख्वास्त किस प्रोविजन्स, किस कानून व किस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। ना ही दोनों प्रकरणों मे आराजी समान

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

ना ही प्रकरणों के मध्य निर्णीत होने वाले प्रश्न एक समान है ना काज आफ एक्शन एक समान है ना ही पक्षकारान के आराजी बाबत तय होने वाले प्रश्न एक समान है। ना ही ग्राउंड्स एवं सबस्टैन्शियली विवाधक एक समान है। इसलिए दावनी प्रकरणों को कन्सोलिडेट नहीं किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वाद में पक्षकार समान है समान नेचर है। दोनों वादों में समान रिलीफ चाही गयी है। अतः वाद कन्सोलिडेट किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस में कहा कि वाद में विवादित आराजी खसरा नं० अलग-2 है। ग्राम अलग-अलग है। विवाधक बिन्दु अलग-अलग है। अलग-2 खसरा नं० बाबत रिलीफ चाही गयी है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 के प्रोविजन्स यहा लागू नहीं होते है। दोनों दावों से व्युत्पन्न अधिकार समान नहीं है। एक प्रार्थनापत्र लम्बा व देर करने की नीयत से पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद की रिलीफ, विवाधक बिन्दु व खसरा नं० का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि दोनो वाद दिनांक 9-11-06 को न्यायालय में दायर किए गए है। वाद संख्या 314/06 में खसरा नम्बर व विवादक आराजी गांव अलग-2 है। पक्षकार समान होने के बावजूद वाद में मिन वादिनी एवं प्रतिवादी नं० 1 व 2 के दरमियान बाई मीटस एण्ड बाउण्डस आराजी मुतदाविया तकसीम नहीं हुई है अब वादिनी का प्रतिवादी नं० 1 व 2 के साथ आये रोज विवाद होता है वादिनी 1/3 हिस्से की तकसीम कराकर अपना खाता कायम कर काबिज होना चाहती है। अतः राज० काश्त० अधिनियम 1955 धारा 53 अन्तर्गत तकासमा रिलीफ चाही गयी है जमाबंदी सं० 2004 इंतकाल सं० 39 मिन वादिनी सन्तो की नाम दर्ज है, कलमजन कर हटाया जावे व प्रतिवादी 3 के पति व प्रतिवादी 4

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कोटकासिम (अलवर) राज०

लगातार -

लगायत 7 के पिता लक्ष्मीनारायण का नाम अंकन को कलमजन कर हटाया जावे व इन्द्राज दुरूस्ती डिग्री रिलीफ चाही गयी है। जबकि वाद सं. 315/06 में इंतकाल 93, 97, 200 ग्राम कायमपुर जोरवावास तह० कोटकासिम निरस्त कर जमाबंदी 2054 से लक्ष्मण व प्रतिवादी न.3 लगायत 7 का अंकन आया है को हजफ कट एवं कलमजन कर हटाया जावे व इन्द्राज दुरूस्ती मिनवादिनी नाम का अंकन वादिनी के हिस्से अनुसार किया जावे, रिलीफ चाही है।

उपरोक्त वाद के अध्ययन व मनन उपरान्त पाया कि धारा 10 CPC यहां लागू नहीं होती है, खसरा नं. व गांव वाद में अलग है वाद में रिलीफ नेचर भिन्न है, पक्षकारान समान है किन्तु विवाद्यक बिन्दु सारतः एवं प्रत्यक्षतः भिन्न है। अतः वाद कन्सोलिडेट नहीं किये जा सकते है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-5-13 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

ायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

सावित्री बनाम श्योनिवास

18/8/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप।
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा०
में दिनांक 23.6.17 को पेश हो।

एस /डी ओ/ रीडर

23/6/17 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली
का निस्तारण नहीं होने से आईन्दा
पत्रावली न्याया० हाजा में दिनांक 25.9.17
को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

25.9.17 पत्रावली पेश हुई। वादिया व उसका
वकील उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज
लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
वादिया व उसके वकील की अनुपस्थिति
में वाद अदम पैरवी व [illegible]
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
[illegible] होकर [illegible]
तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner